



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
ई-मेल:- Bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikaner.org

क्रमांक/भण्डार/2019/ 2378

15 फरवरी, 2019


श्रीमान् प्रबन्धक निदेशक,
राजस्थान संवाद,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर,

विषय:- नीलामी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में निवेदन है कि संलग्न नीलामी कार्यक्रम का प्रकाशन निम्न अनुसार विक्रय तिथि से समुचित समय पूर्व कम से कम स्पेस में राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप करवाने की व्यवस्था करें।

कृपया संलग्न सूचना का प्रकाशन संबंधित समाचार पत्र में दिनांक 18.02.2019 से पूर्व करवाते हुए प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की तीन प्रतियां एवं विपत्र भुगतान हेतु बीकानेर नगर निगम को भिजवाने का श्रम करावें।


(डॉ प्रदीप के. गवांडे)IAS
आयुक्त



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
ई-मेल:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/यंत्रालय/2019/2378

15 फरवरी, 2019

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि बीकानेर नगर निगम में समय-समय पर नकारा/अनुपयोगी विभागीय वाहन/मशीनरी एवं अन्य नकारा सामान की नीलामी निम्नलिखित विवरणानुसार की जावेगी। यदि किसी कारणवश कोई सामान उस दिन नीलाम नहीं किया जा सका तो उस सामान की नीलामी अगले दिन की जावेगी आवश्यकता पड़ने पर अथवा नीलामी तिथि को किसी कारणवश अवकाश होने की दशा में नीलामी अगले कार्य दिवस को भी हो सकेगी। नीलामी संबंधी पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। नीलाम किये जाने वाले सामान का विवरण निम्नांकित है:-

क्र. सं०	नीलाम किये जाने वाले सामान का विवरण	सामान का पुस्तक मूल्य/अनुमानित मूल्य (लाखों में)	नीलामी दिनांक	नीलामी स्थल	नीलामी का समय
01.	विभिन्न प्रकार के कचरा पात्र	7,42,020/-	05.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
02.	विभिन्न प्रकार के टायर-ट्यूब / रबड़ चक्का / प्लास्टिक	29,958/-	05.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
03.	हाथ रेडी के लोहे के चक्के / लोहे की रिमें / दांतिया	1,84,834/-	05.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
04.	लोहे के ड्रम / कुलर / अलमारी / हल्का लोहा इत्यादि	1,01,361/-	05.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
05.	विभिन्न प्रकार के वाहनों के नकारा कुल पूर्ण	3,50,114/-	05.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
06.	विभिन्न प्रकार का भारी लोहा	2,39,688/-	05.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
07.	वाहनों के नकारा रेडियटर / बैट्रियां	2,30,620/-	05.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
08.	विभिन्न प्रकार की नकारा विद्युत सामग्री	5,86,838/-	05.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
09.	नकारा फर्नीचर	12,000/-	05.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
10.	एम्बेरोडर कार / जिप्सी	90,000/-	06.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
11.	ऑटो टिप्पर थ्री व्हीलर	45,000/-	06.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
12.	जैटिंग मशीन	1,50,000/-	06.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM


१५

क्र. सं०	नीलाम किये जाने वाले सामान का विवरण	सामान का पुस्तक मूल्य/अनुमानित मूल्य (लाखों में)	नीलामी दिनांक	नीलामी स्थल	नीलामी का समय
13.	अर्थमूवर (जेसीबी)	2,50,000/-	06.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
14.	टैक्टर एचएमटी	1,60,000/-	06.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
15.	टैक्टर मैसी	1,65,000/-	06.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
16.	फायर फाइटर	1,60,000/-	06.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM
17.	डम्पर	6,00,000/-	06.03.19	नगर निगम भण्डार	10:00 AM to 6:00 PM

इच्छुक खरीददार उपरोक्त वर्णित सामग्री का निरीक्षण इस विभाग के नीलामी स्थल पर आकर कर सकते हैं। बोली में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि पुस्तक मूल्य/अनुमानित मूल्य की 2 प्रतिशत नकद राशि अथवा डी.डी. के रूप में आयुक्त नगर निगम बीकानेर के नाम का बोली शुरू होने से पहले आईटम अनुसार पृथक-पृथक जमा कराने होंगे। खरीद न करने वाले की धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् उसी दिन लौटा दी जावेगी। नीलामी बोली छुटने पर बोली की राशि का एक चौथायी भाग उसी समय नकद जमा करानी होगी, शेष 75 प्रतिशत राशि सात दिवस में जमा कराकर नकारा/अनुपयोगी एवं अधिशेष सामान प्राप्त कर सकेंगे।

अन्य शर्तें :-

1. समस्त बोलीदाता दिनांक 20.02.2019 से कार्यालय समय में नीलामी योग्य सामान का निरीक्षण कर सकते हैं।
2. सामान पूर्ण नकद/चैक भुगतान किये जाने के पश्चात् ही हस्तान्तरित किया जायेगा।
3. माल पर लगने वाला जीएसटी कर खरीददार को अलग से कर विभाग में जमा कराना होगा।
4. नीलामी बोली के पश्चात् सामान का उचित मूल्य नहीं होने पर नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
5. नीलामी जिस माल की शुरू की जावेगी उसकी उचित दर प्राप्त होते ही स्वीकार कर ली जावेगी। इसके लिए उस दिन समय की पाबन्दी नहीं होगी।
6. नीलाम किया गया माल जिस हालत में है, जैसा है उपरोक्त वर्णित स्थल से कार्यालय आदेश जारी होने के सात दिवस के भीतर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा नीलामी राशि का एक प्रतिशत प्रतिदिन अलग से चार्ज किया जावेगा एवं एक माह तक माल न उठाने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी तथा जमा रकम जब्त कर ली जावेगी।
7. उपरोक्त सामग्री की नीलामी जहाँ है जैसी है कि स्थिति के आधार पर नीलाम की जायेगी।
8. नकारा वाहनों के दस्तावेज जैसे:- पंजीयन प्रमाण-पत्र, बीमा आदि जो उपलब्ध है वो नीलामी के बाद बोलीदाता को उपलब्ध करवा दिये जायेगे। शेष वाहनों जिनके दस्तावेज नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है उनको बोलीदाता द्वारा स्वयं के स्तर पर तैयार करवाना होगा। नगर निगम इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा।


 (डॉ प्रदीप के. गवांडे)IAS
 आयुक्त